

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला देवास (म0प्र0)

क्रमॉक-25 / 26

देवास दिनांक- 20.02.2026

::- रिमाण्ड ड्यूटी आदेश -::

मैं भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास म.प्र. भा.ना.सु.सं. की धारा 13(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **माह मार्च एवं अप्रैल 2026** में आने वाले सार्वजनिक अवकाश में रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को उनके न्यायालय कक्ष में सायं 3 से 5 बजे तक कार्य संपादित करने हेतु आदेशित करता हूँ :-

मुख्यालय देवास

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	मार्च 2026	अप्रैल 2026
1	श्रीमती दीक्षा मौर्य, जे.एम.एफ.सी.	3, 4	—
2	श्री कुँवर युवराजसिंह, जे.एम.एफ.सी.	15	14
3	श्रीमती निकिता वार्ष्णेय पाण्डे, जे.एम.एफ.सी.	1	3
4	श्री प्रियांशु पाण्डे, जे.एम.एफ.सी.	8	4
5	श्रीमती किरणसिंह, जे.एम.एफ.सी.	27, 29	19
6	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	7, 31	12
7	श्री सौरभ जैन, जे.एम.एफ.सी.	19, 20	5
8	चंद्रा पंवार, जे.एम.एफ.सी.	21, 22	26

तहसील मुख्यालय सोनकच्छ

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	मार्च 2026	अप्रैल 2026
1	श्री दशरथ सिंह भिड़े, जे.एम.एफ.सी.	1, 3, 4,	12
2	श्रीमती परिधि गुप्ता, जे.एम.एफ.सी.	7, 8, 29	14, 19
3	सुश्री निकिता पंवार, जे.एम.एफ.सी.	31, 15, 27	3, 4
4	श्री शुभम गुप्ता, जे.एम.एफ.सी.	19, 20, 21, 22	5, 26

तहसील मुख्यालय टोंकखुर्द

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	मार्च 2026	अप्रैल 2026
1	श्रीमती आयुषी गुप्ता उपाध्याय, जे.एम.एफ.सी.	मातृत्व अवकाश पर हैं।	
2	सुश्री आयुषी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी.	1, 3, 4, 7, 8, 15, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 31	3, 4, 5, 12, 14, 19, 26

तहसील मुख्यालय बागली

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	मार्च 2026	अप्रैल 2026
1	श्रीमती बबीता प्रजापत, जे.एम.एफ.सी.	3, 4, 7, 8, 27, 29	3, 4, 5, 14
2	श्रीमती वीणा अग्निहोत्री, जे.एम.एफ.सी.	1, 15, 19, 20, 21, 22, 31	12, 19, 26
3	सुश्री आयुषी मालवीय, जे.एम.एफ.सी.	मातृत्व अवकाश	

तहसील मुख्यालय कन्नौद

क्र.	पीठासीन अधिकारी का नाम	मार्च 2026	अप्रैल 2026
1	श्रीमती ऊषा उईके, जे.एम.एफ.सी.	15, 27, 29, 31	3, 4
2	श्रीमती सोनाली शर्मा, जे.एम.एफ.सी.	3, 4, 7, 8	5, 14
3	श्री कुंदन कछवाह, जे.एम.एफ.सी.	1, 19, 20, 21, 22	12, 19, 26

तहसील मुख्यालय खातेगांव

क्र.	पीठासीन अधिकारी का नाम	मार्च 2026	अप्रैल 2026
1	श्रीमती राधा उईके, जे.एम.एफ.सी.	1, 3, 4, 19, 20, 21, 22	12, 14, 26
2	सुश्री तनिष्का वैष्णव, जे.एम.एफ.सी.	7, 8, 15, 27, 29, 31	3, 4, 5, 19

नोट:-

- उपरोक्त वर्णित तिथियों में मजिस्ट्रेट, कर्मचारियों सहित दिन में 3 बजे से 5 बजे तक न्यायालय में कार्य संपादित करेंगे। किसी कारणवश उक्त कार्य संपन्न करने की असमर्थता की स्थिति में अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में वे मुख्यालय अथवा तहसील में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट से चर्चा स्वयं करेंगे और मुख्यालय अनुमति मिलने पर वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में इस न्यायालय को सूचित करने के पश्चात ही मुख्यालय प्रस्थान करेंगे। मध्य में कोई शासकीय अवकाश घोषित होने पर उक्त दिवस का आकस्मिक कार्य मुख्यालय देवास में माह **मार्च** में श्री प्रियांशु पाण्डे, माह **अप्रैल** में श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी जे.एम.एफ.सी., सोनकच्छ में माह **मार्च** में श्री शुभम गुप्ता जे.एम.एफ.सी., माह **अप्रैल** में श्रीमती परिधि गुप्ता जे.एम.एफ.सी., टोंकखुर्द में माह **मार्च एवं अप्रैल** में सुश्री आयुषी श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी., बागली में माह **मार्च** में श्रीमती वीणा अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी., माह **अप्रैल** में श्रीमती बबीता प्रजापत, जे.एम.एफ.सी., कन्नौद में माह **मार्च** में श्री कुंदन कछवाह जे.एम.एफ.सी., माह **अप्रैल** में श्रीमती सोनाली शर्मा, जे.एम.एफ.सी. एवं खातेगांव में माह **मार्च** में सुश्री तनिष्का वैष्णव, जे.एम.एफ.सी. माह **अप्रैल** में श्रीमती राधा उईके, जे.एम.एफ.सी. के द्वारा संपादित किया जावेगा। रिमांड अवधि में आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित न्यायिक अधिकारी के द्वारा सी.जे.एम. को लिखित सूचना दी जाकर अनुमति उपरांत ही रिमाण्ड ड्यूटी से विरत होंगे।
- यदि कोई मजिस्ट्रेट ट्रेनिंग पर जाते हैं अथवा आकस्मिक अवकाश पर रहते हैं तो उक्त ट्रेनिंग अवधि/आकस्मिक अवधि में रिमांड ड्यूटी का प्रभार वैसे ही रहेगा जैसे कार्यविभाजन पत्रक अनुसार उक्त मजिस्ट्रेट के अवकाश अवधि में जाते समय प्रभार में रहता है।
- उक्त अवधि के दौरान किसी मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने पर उक्त रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन पदउत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एवं पद रिक्त रहने की दशा में प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।
- उक्त सार्वजनिक अवकाशों में सुश्री आयुषी श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टोंकखुर्द रिमाण्ड ड्यूटी न कर पाने की दशा इस न्यायालय को पूर्व में सूचित करेंगी तथा अनुमति उपरांत ही मुख्यालय से बाहर रहेंगी तथा उनकी अनुपस्थिति की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन सोनकच्छ न्यायालय में उक्त दिनांक को आदेशानुसार उपस्थित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा। सुश्री आयुषी श्रीवास्तव द्वारा अनुपस्थिति की सूचना संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनकच्छ को भी प्रेषित की जावेगी।

**BHARAT
SINGH
KANDEL**

Digitally
signed by
BHARAT
SINGH KANDEL
Date:
2026.02.20
17:53:02
+0530

(भारत सिंह कनेल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला देवास